149

5 पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर कैम्प उज्जैन म०प्र०

प्रकरण क्रमांक । 05 निगरानी 1992-I/05

किशनलाल पिता छगनलाल महाजन निवासी ग्राम पायाखेड़ी तहसील सीतामऊ हाल मुकाम श्यामगढ़ तहसील गरोठ जिला मंदसौर म०प्र०

प्रार्थी

श्री प्रदीप कुमार शर्मा
अभिभाषक द्वारा
उपस्थित पर प्रस्तुत
26/11/05

विरुद्ध

प्रभुलाल पिता छगनलाल महाजन निवासी पायाखेड़ी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर म०प्र०

-- प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 19 । 03-04 अपील मे पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य

1:- यह कि [illegible] (प्रार्थी) एवं प्रतिप्रार्थी ग्राम पायाखेड़ी तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर के निवासी है प्रार्थी के पिता छगनलाल महाजन के नाम से ग्राम पायाखेड़ी मे कुल भूमि किता 12 कुल रकबा 4.096 हैक्टर भूमि थी तथा वर्ष 1991 मे उनके निधन के पश्चात उक्त भूमि उनकी पत्नि नंदुबाई प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के मध्य नामान्तरित हुई। एवं तीनो के मध्य बटवारा हुआ । बटवारे के पश्चात नंदुबाई के हिस्से मे ग्राम पायाखेड़ी मे कुल भूमि 1.448 हैक्टर आई थी जिस पर माता नंदुबाई का नाम व स्वत्व था। प्रभुलाल ने उक्त भूमि की फर्जी वसीयत तैयार कर 1 । 2 भाग पर अपना नाम का नामान्तरण करवाने के लिये ग्राम पंचायत पायाखेड़ी मे आवेदन किया प्रभुलाल द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का प्रतिप्रार्थी द्वारा विरोध करने पर एवं नामान्तरण विवादित हो जाने के कारण

(149) (94)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/1992/एक/2015

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 15/03/2016 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	